सं.371/4/2013-एवीडी-III

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक 16 जून, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : दिनांक अप्रैल, 2004 को भारत के राजपत्र भाग । खंड 1, असाधारण में प्रकाशित (29 अप्रैल, 2004 के शुद्धिपत्र के साथ पठित) भारत के संकल्प संख्या 89, जो सामान्य रूप से लोकहित प्रकटन तथा सूचना प्रदाता संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प के नाम से जाना जाता है, का संशोधन-के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 3 सितम्बर, 2013 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को इसके साथ **लोकहित प्रकटन तथा सूचना प्रदाता संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प के तहत शिकायतों के निपटान हेतु भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के उन मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा अनुसरण की जानी वाली प्रक्रिया** की प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है जिन्हें किसी केन्द्रीय अधिनियम, केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा इसके स्वामित्व वाली और उस मंत्रालय अथवा विभाग के क्षेत्राधिकार में आने वाली सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भ्रष्टाचार अथवा पद के दुरुपयोग के किसी आरोप के संबंध में लिखित शिकायत अथवा प्रकटन प्राप्त करने के लिए नामोदिष्ट प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है ।

2. शिकायतकर्ता के आवेदन अथवा एकत्र सूचना के आधार पर मंत्रालय अथवा विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी को यदि यह प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता या गवाह को संरक्षण की आवश्यकता है तो संबंधित प्राधिकरणों को उचित निर्देश जारी करने हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के साथ वे इस मामले को उठाएंगे ।

3. यह अनुरोध किया जाता है कि नामोदिष्ट प्राधिकारियों के नाम और पदनाम के साथ पीआईडीपीआई संकल्प के तहत शिकायतों के निपटान की प्रक्रिया को मंत्रालयों तथा मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले संगठनों की वेबसाइट पर डालते हुए इसका व्यापक प्रचार किया जाए । दिनांक 21 अप्रैल, 2004 के पीआईडीपीआई संकल्प संख्या 89 तथा दिनांक 29.08.2013 के संशोधित संकल्प संख्या 190 की प्रति भी संलग्न है ।

संलग्न : उपर्युक्त के अनुसार

(एम.एम. मौर्या)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 23094541

सेवा में,

भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग में मुख्य सतर्कता अधिकारी

(संलग्न सूची के अनुसार नाम से)

.....2/-

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
3. सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कत भवन, नई दिल्ली । अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए और उसका व्यापक प्रचार किया जाए । मंत्रालयों/विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को भी आयोग द्वारा पत्र लिखा जाए ।
4. माननीय राज्य मंत्री (कार्मिक) के निजी सचिव/सचिव (कार्मिक) के प्रधान निजी सचिव/ईओ एंड एएस/एएस (एस एंड वी), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ।
5. मुख्य सतर्कता अधिकारी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली ।
6. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
7. आदेश फोल्डर/गार्ड फाइल

नमोदिष्ट प्राधिकारी (सीवीओ अथवा मंत्रालयों/विभागों) द्वारा अनुसरण किए जाने वाले दिनांक 21.04.2014 के लोकहित प्रकटन तथा सूचना प्रदाता संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प के तहत शिकायतों के निपटाने की प्रक्रिया ।

1.	'नमोदिष्ट प्राधिकारी' पीआईडीपीआई संकल्प के तहत शिकायतें प्राप्त करने के लिए अनुभाग अधिकारी (एसओ) से नीचे के स्तर के अधिकारी को प्राधिकृत नहीं करेगा।
2.	जिन लिफाफों पर 'लोकहितप्रकटन के तहत शिकायत' लिखा हुआ होगा उन्हें 'नमोदिष्ट प्राधिकारी' की उपस्थिति में प्राधिकृत अनुभाग अधिकारी/प्रभारी द्वारा खोला जाएगा।
3.	शिकायतकर्ता के पहचान की पुष्टि अनुभाग अधिकारी/प्रभारी द्वारा उसे पत्र लिखकर की जाएगी। पत्र का नमूना अनुबंध-। पर है।
4.	पहचान की पुष्टि करने के पश्चात, "नमोदिष्ट प्राधिकारी" तथा अनुभाग अधिकारी/प्रभारी, दोनों यह सुनिश्चित करेंगे कि शिकायत के कलेवर से शिकायतकर्ता की पहचान हटा दी गई है और उसी शिकायत को केंद्रीय रजिस्ट्री डायरी संख्या सहित एक छदम नम्बर दे दिया गया है जिससे मूल शिकायत का वापस पता लगाया जा सके।
5.	मूल शिकायत को तिजोरी/आलमारी में रखा जाएगा। आलमारी संबंधित अनुभाग अधिकारी की अभिरक्षा में रखी जाएगी तथा कभी भी इस शिकायत को "नमोदिष्ट प्राधिकारी" से उचित प्राधिकार प्राप्त किए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।
6.	इस प्रकार की गई छदम शिकायत को "नमोदिष्ट प्राधिकारी" को सौंपा जाएगा जो यह निर्णय करेगा कि मामले की और आगे जांच की जानी आवश्यक है अथवा नहीं तथा किसी भी क्षेत्र से मामले में रिपोर्ट मंगाई जाए अथवा नहीं। (प्रत्येक शिकायत के लिए अलग फाइल खोली जाएगी)
7.	शिकायतों पर विचार करते हुए "नमोदिष्ट प्राधिकारी" भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण एवं अन्य संबद्ध मुद्दों जैसे प्रशासनिक मामलों से संबंधित शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तथापि,इन मामलों में अनियमितताओं की गंभीर शिकायतें पाई जाने पर उन्हें उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संगठन के सचिव/प्रधान प्रमुख के संज्ञान में लाया जा सकता है।
8.	जिन मामलों में रिपोर्ट मंगाने के लिए निर्णय लिया गया हो, वहां अधिकतम 2 सप्ताह की समय-सीमा दी जा सकती है। यदि दो सप्ताह के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो "नमोदिष्ट प्राधिकारी" के स्तर से एक अनुस्मारक भेजा जाए। यदि तब भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो 2 सप्ताह के पश्चात द्वितीय अनुस्मारक सचिव के स्तर से भेजा जाए। यदि फिर कोई उत्तर भी प्राप्त नहीं होता है तो "नमोदिष्ट प्राधिकारी" स्पष्टीकरण मांग सकता है तथा जानबूझकर विलंब करने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है।

9.	रिपोर्ट प्राप्त होने पर, संबंधित अनुभाग अधिकारी/प्रभारी "नमोदिष्ट प्राधिकारी" को मामला प्रस्तुत करेगा जो शिकायत की जांच करेगा और दो सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट तैयार करेगा।
10.	"नमोदिष्ट प्राधिकारी" अपनी सिफारिश सहित जांच रिपोर्ट आगे निदेश के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग को सौंपेगा।
11.	इस बीच, "नमोदिष्ट प्राधिकारी" यह सुनिश्चित करेगा कि "सूचना प्रदाता" होने के कथित-कारणों/संदेह पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई दण्डात्मक कार्रवाई न की जाए।
12.	ऐसी शिकायतों के आधार पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए आयोग के निदेश प्राप्त होने के पश्चात, सीवीओ को डीए द्वारा आगे की अनुवर्ती कार्रवाई और अनुपालन की पुष्टि करनी होगी और आयोग को विलंब, यदि कोई हो, से अवगत करवाना होगा।
13.	अनुभाग अधिकारी/प्रभारी को 'पीआईडीपीआई संकल्प' के तहत प्राप्त हुई शिकायतों के लिए अलग सूची रखें और कंप्यूटर तंत्र में सूचना की प्रविष्टि करें तथा आवधिक रूप से उनकी प्रगति की निगरानी करें और प्रत्येक 2 सप्ताह में "नमोदिष्ट प्राधिकारी" को यह प्रस्तुत करे।
14.	जहां कहीं भी शिकायतकर्ता ने प्रताड़ना/उत्पीड़नका आरोप लगाया है वहां "नमोदिष्ट प्राधिकारी" यह सुनिश्चित करेगा कि यदि शिकायतकर्ता की पहचान किसी भी तरह उजागर हो जाती है तो उसे बार-बार स्थानांतरण इत्यादि द्वारा प्रताड़ित/उत्पीड़ित न किया जाए।
15.	यदि शिकायतकर्ता सुरक्षा की मांग करता है और सूचित करता है कि उसके जीवन को खतरा है, तो "नमोदिष्ट प्राधिकारी" इसकी जांच करेगा और सूचनाप्रदाताओं को सुरक्षा मुहैया करवाने के प्रयोजन से गृह मंत्रालय/राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों के साथ मामले को उठाने के लिए सीवीसी को अपनी सिफारिश भेजेगा।

अनुबंध - I

गोपनीय

स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक

फा. सं. गोपनीय/ /.....

भारत सरकार

..... मंत्रालय

नई दिल्ली, ...2014

महोदय,

कृपया "'लोक हित प्रकटन एवं सूचना प्रदाता संरक्षण संकल्प (पीआईडीपीआई)" के अन्तर्गत इस मंत्रालय/विभाग में दिनांक ..... को प्राप्त अपनी दिनांक .....की शिकायत का संदर्भ लें ।

2. नीति के अनुसार, शिकायतकर्त्ता द्वारा यह पुष्टि की जानी अपेक्षित है कि उसने वास्तव में उक्त शिकायत इस मंत्रालय/विभाग को भेजी है । अत: आपसे अनुरोध है कि आप इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर यह पुष्टि करें कि आपने ही उपर्युक्त शिकायत भेजी है ।

3. आपसे यह भी अनुरोध है कि आप संलग्न किए गए फार्मेट के अनुसार इस मंत्रालय/विभाग को यह प्रमाण पत्र भेजें कि आपने भ्रष्टाचार/कार्यालय के दुरूपयोग के समान/समरूप आरोप अन्य प्राधिकारियों पर नहीं लगाए हैं जो 'सूचना प्रदाता' शिकायतकर्त्ता की श्रेणी में आते हैं ।

4. आपका जवाब अधोहस्ताक्षरी के नाम से भेजा जाए ।

भवदीय

अवर सचिव

संलग्न : प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने भ्रष्टाचार/कार्यालय के दुरूपयोग के समान/समरूप आरोप अन्य प्राधिकारियों पर नहीं लगाए है जो सूचना प्रदाता शिकायतकर्त्ता की श्रेणी में आते हों ।

हस्ताक्षर.....

शिकायतकर्त्ता का नाम .....

पता.....